



प्रेस नोट जनपद बागपत

दिनांक 01.07.2025

थाना बड़ौत क्षेत्रान्तर्गत ग्राम जौनमाना में हुए दोहरे हत्याकांड में संलिप्त 02 हत्यारोपी अभियुक्तों के विरुद्ध की गयी राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) की धारा 3(2) के अन्तर्गत कार्यवाही के सम्बन्ध में।

संक्षिप्त विवरण-

थाना बड़ौत क्षेत्रान्तर्गत ग्राम जौनमाना में दिन दहाड़े जघन्य दोहरे हत्या प्रकरण में संलिप्त 02 अभियुक्तों 1-मन्नू पुत्र किशना उर्फ किशन सिंह, 2-विनित पुत्र मन्नू निवासीगण ग्राम जौनमाना थाना बड़ौत जनपद बागपत के द्वारा सह अभियुक्तों के साथ बलराम पुत्र राजेश्वर व एक युवती की रस्सा से गला घोटकर हत्या की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना बड़ौत पुलिस द्वारा थाने पर मु0अ0सं0 140/25 धारा 103(1)/3(5) बीएनएस के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था।

कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में थाना बड़ौत, जनपद बागपत द्वारा उक्त अभियोग से सम्बन्धित दो अभियुक्तों 1-मन्नू पुत्र किशना उर्फ किशन सिंह, 2-विनित पुत्र मन्नू निवासीगण ग्राम जौनमाना थाना बड़ौत जनपद बागपत के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता एवं संबंधित कानूनों के तहत कड़ी कार्यवाही करते हुए श्रीमान जिलाधिकारी के आदेशानुसार राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) की धारा 3(2) के अन्तर्गत निरुद्ध किया गया है।

उक्त अभियुक्तों पर गंभीर अपराध में संलिप्त होने के कारण सार्वजनिक सुरक्षा व शांति भंग करने का गंभीर खतरा माना गया है। इस संदर्भ में थाना बड़ौत पुलिस द्वारा कड़े कदम उठाते हुए एनएसए के तहत निरुद्ध किया गया है तथा वर्तमान में दोनों अभियुक्त जिला कारागार जनपद बागपत में निरुद्ध हैं।

पुलिस प्रशासन द्वारा स्थानीय जनता की सुरक्षा एवं शांति बनाए रखने हेतु आवश्यक सभी कदम उठाए जा रहे हैं। इस कार्यवाही से अपराध नियंत्रण में मदद मिलेगी और क्षेत्र में कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाएगा।

इस सम्बन्ध में थाना बडौत पुलिस द्वारा अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।



Meticulous Investigation & Prosecution

BAGHPAT POLICE

“ऑपरेशन कन्वक्शन” के क्रम में वादी की पुत्री के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना कारित करने के आरोपी राहुल को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुआ 20 वर्ष का कठोर कारावास व 50 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा-

अवगत कराना है कि वर्ष 2018 में अभियुक्त 1-राहुल पुत्र हरिशचन्द, 2-संदीप पुत्र धीरसिंह निवासी गण ग्राम बली थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत द्वारा वादी की पुत्री के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 468/18 धारा 376डी/506 भादवि, 3(2)5 एससीएसटी एक्ट व 3/4 पोक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया था। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्वक्शन के अन्तर्गत चिन्हित किया गया तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में पुलिस व अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 01.07.2025 को मा0 न्यायालय अपर जिला जज स्पेशल पोक्सो कोर्ट जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त राहुल को दोषी पाते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास व 50 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अभियुक्त संदीप पुत्र धीरसिंह निवासी ग्राम बली थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत द्वारा दिनांक 03.03.2022 को आत्महत्या कर ली गयी थी।

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है तथा “ऑपरेशन कन्वक्शन” अभियान के क्रम में बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा।



नरेंद्र सिंह पंवार
एडीजीसी



का0 हरदीप
कोर्ट पैराकार



@baghpatpolice



baghpatpolice



Baghpat Police





प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना खेकडा

दिनांक 01.07.2025

थाना खेकडा पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 205/25 धारा 103(1)/352/351(3) बीएनएस से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को बाद पुलिस मुठभेड़ (घायलावस्था में) को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे आलाकत्ल 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा व 01 खोखा कारतूस .315 बोर बरामद ।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 30.06.2025 को थाना खेकडा पर वादिया ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्त मोहित पुत्र रणबीर निवासी ग्राम सुन्हैडा थाना खेकडा जनपद बागपत ने उसके पति अजय पंवार पुत्र महावीर सिंह के साथ गाली-गलौच करते हुए तमंचा से फायर कर गोली मार दी, जिनकी उपचार हेतु ले जाते समय रास्ते में मृत्यु हो गयी व उसको जान से मारने की धमकी दी। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना खेकडा पर



मु0अ0सं0 205/25 धारा 103(1)/352/351(3) बीएनएस पंजीकृत किया गया एवं विवेचनात्मक कार्यवाही प्रारंभ की गयी व अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु थाना खेकडा पर 04 टीमों का गठन किया गया था।

कार्यवाही -

श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकडा पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 205/25 धारा 103(1)/352/351(3) बीएनएस से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को बाद पुलिस मुठभेड़ (घायलावस्था में) गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से आलाकत्ल 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा व 01 खोखा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ है।

उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना खेकडा पर मु0अ0सं0 206/25 धारा 109 बी.एन.एस व 3/25/27 आयुध अधिनियम पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटनास्थल- जंगल ग्राम सुन्हैडा थाना खेकडा जनपद बागपत।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता:-

मोहित पुत्र रणबीर सिंह निवासी ग्राम सुन्हैडा थाना खेकडा जनपद बागपत (घायल)

बरामदगी का विवरण:-

- आलाकत्ल 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा व 01 खोखा कारतूस .315 बोर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-प्र0नि0 श्री कैलाशचन्द्र थाना खेकडा जनपद बागपत।
- 2-निरीक्षक अपराध श्री ओमप्रकाश आर्य थाना खेकडा जनपद बागपत।
- 3-उ0नि0 श्री दीपक कुमार थाना खेकडा जनपद बागपत।
- 4-है0का0 330 प्रवीण कुमार थाना खेकडा जनपद बागपत।
- 5-है0का0 530 धर्मेन्द्र थाना खेकडा जनपद बागपत।
- 6-है0का0 643 सचिन कुमार थाना खेकडा जनपद बागपत।
- 7-है0का0 672 जितेन्द्र कुमार थाना खेकडा जनपद बागपत।
- 8-का0 164 नितिन कुमार थाना खेकडा जनपद बागपत।
- 9-का0 937 शिवम शर्मा थाना खेकडा जनपद बागपत।



BAGHPAT POLICE

थाना साइबर क्राइम जनपद बागपत

जुलाई-2025

**थाना साइबर क्राइम पुलिस, जनपद बागपत द्वारा माह जून 2025 में 11 व्यक्तियों से हुई
ऑनलाइन रुपयों की धोखाधड़ी में कुल ₹10,34,557 वापस कराये गये-**

थाना साइबर क्राइम पुलिस, जनपद बागपत द्वारा निम्न शिकायतों को तत्काल संज्ञान में लेते हुए त्वरित विधिक कार्यवाही की गयी, जिसके फलस्वरूप पीड़ितों के बैंक खातों से निकाले गये रुपयों को वापस कराया गया। रुपये वापस मिलने पर पीड़ितों द्वारा बागपत पुलिस की प्रशंसा करते हुए आभार व्यक्त किया गया।

क्र०सं०	थाना	प्रा० पत्र सं०/मु०अ०सं०	वापस करायी गयी धनराशि
1	थाना साइबर क्राइम	331033250032645	20,000
2	थाना साइबर क्राइम	AP – 206/25	48,266
3	थाना साइबर क्राइम	AP – 209/25	65,110
4	थाना साइबर क्राइम	AP – 673/24	6,568
5	थाना साइबर क्राइम	AP – 532/24	55,000
6	थाना साइबर क्राइम	AP – 163/25	10,000
7	थाना साइबर क्राइम	AP – 193/25	4,500

8	थाना साइबर क्राइम	मु0अ0सं0 03/25	7,83,413
9	थाना सिंघावली अहीर	NCRP – 23105250073758	16,000
10	थाना रमाला	NCRP – 33102250020747	11,000
11	थाना दोघट	NCRP – 33106250062872	14,700
कुल योग			10,34,557





BAGHPAT POLICE



बागपत पुलिस द्वारा "ऑपरेशन स्माईल" के अन्तर्गत माह जून 2025 में कुल- 30 गुमशुदा एवं अपहृताओं को बरामद किया गया:-

बागपत पुलिस द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन स्माईल" के अन्तर्गत माह जून 2025 में कुल-30 गुमशुदा एवं अपहृताओं को सकुशल बरामद कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी। इस अभियान के अन्तर्गत जनपद के सभी थानों पर पुलिस टीमों का गठन कर बरामदगी हेतु लगाया गया था, जिनके द्वारा गुमशुदा एवं अपहृताओं/अपहृतों को सकुशल बरामद किया गया है।

क्र०सं०	थाना	मु०अ०सं०	धारा
01	बागपत	298/25	137(2) बीएनएस
02	बागपत	313/25	धारा 137(2) बीएनएस
03	बागपत	319/25	धारा 137(2) बीएनएस
04	बागपत	333/25	87 बीएनएस
05	बागपत	350/25	87 बीएनएस
06	बागपत	356/25	87/64(1) बीएनएस
07	बागपत	361/25	137(2)/191(2)/352/351(2) बीएनएस
08	सिंघावली अहीर	206/25	87 बीएनएस
09	सिंघावली अहीर	208/25	137(2) बीएनएस
10	सिंघावली अहीर	231/25	137(2) बीएनएस
11	बिनौली	164/25	137(2) बीएनएस
12	बिनौली	174/25	87 बीएनएस
13	बिनौली	175/25	137(2) बीएनएस
14	खेकडा	357/24	87 बीएनएस
15	खेकडा	157/25	137(2) बीएनएस

16	खेकडा	178/25	137(2) बीएनएस
17	खेकडा	179/25	137(2) बीएनएस
18	खेकडा	192/25	137(2) बीएनएस
19	चांदीनगर	100/25	137(2) बीएनएस
20	बडौत	184/25	87 बीएनएस
21	बडौत	193/25	140(3) बीएनएस
22	दोघट	131/25	137(2) बीएनएस
23	दोघट	164/25	140(3) बीएनएस
24	रमाला	153/25	87 बीएनएस
25	रमाला	154/25	87 बीएनएस
26	रमाला	166/25	137(2) बीएनएस
27	रमाला	184/25	137(2) बीएनएस
28	छपरौली	73/25	87 बीएनएस
29	छपरौली	137/25	87 बीएनएस
30	छपरौली	159/25	137(2) बीएनएस

